

103



IN THE COURT OF REVENUE BOARD,
M.P. GWALIOR, (M.P.)

10

R 169-II-17

CASE NO. /2017 REVISION

REVISIONIST


Suraj Singh, Aged - about 43 years, of
Late Shri Gajanalal, R/o Raishri, Tehsil,
Distt. Shivpuri, (M.P.)


दिनांक 9-1-17 का
श्री गिरीश्वर लाल का
झाप प्रस्तुत

Versus

RESPONDENTS

1. The Sub Divisional Officer, Shivpuri, Distt Shivpuri, (M.P.)
2. The Tehsildar, Tehsil Shivpuri, Distt Shivpuri, (M.P.)
2. Badri Prasad Yadav, S/o Late Ram Prasad Yadav, R/o Village Raishri, Tehsil & Distt Shivpuri, (M.P.)


9-1-17


Suraj Singh

A Revision under section 50 of M.P.L.R.C. 1959 against order dt. 20-09-2016 passed by the Sub Divisional Officer, Shivpuri, Distt Shivpuri in case no. 121/2014-15. Copy of order dt. 20-09-2016 is annexed hereto and marked as Annexure P/1.

MAY IT PLEASE THIS COURT

The humble Revisionist submits this revision as under:

PARTICULARS OF THE ORDER UNDER CHALLENGE

The revisionist is aggrieved by the order dt. 20-09-2016 passed by the respondent SDO Shivpuri whereby the time barred application for limitation of the respondent no. 3, has been allowed. Thus the said



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-169-दो/2017

जिला-शिवपुरी

सूरज सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कोलारस, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20-09-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07-08-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) 6/19 सदस्य</p>